रा/निगरानी/शिवपुरी/भू-रा/2017/1871

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म॰प्र॰

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

मुरारीलाल पुत्र वारेलाल निवासी ग्राम
रातौर तहसील व जिला शिवपुरी
-- निगरानी कर्ता

श्री ए० के० अग्रवाल, अधि० द्वारा आज दि० 23.6.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23.6.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

भारत पुत्र श्रीलाल वर्मा निवासी - नबाव
साहब रोड, तहसील व जिला शिवपुरी
-- रेस्पोंडेन्ट

निगरानी आधीन धारा 50 म प्र भू - राजस्व संहिता 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 22.2.2017 पारित न्यायालय अपर आयुक्त
ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 254/13-14/ अपील
व उन्मान मुरारीलाल बनाम भारत से दुखी होकर।

A.K. AGARWAL 23-6-17

माननीय न्यायालय,

निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, ग्राम रातौर की भूमि सर्वे क्रमांक 1486 रकवा 1.3 विस्वा का [illegible] रिस्पोंडेन्ट भूमि स्वामी है। रेस्पोंडेन्ट ने इस कृषि भूमि को सामलिया धाकड़ निवासी रातौर से आज से 4 साल पहले क्रय किया था जिस समय भूमि क्रय की गयी थी उस समय सामलिया का उक्त भूमि पर कब्जा नही था निगरानीकर्ता उक्त भूमि को 25 साल से लगातार कब्जा करके खेती करता चला

...म त्रुटि की है जबकि ...न्डेन्ट का नाम दर्ज होने ... रेस्पोंडेन्ट द्वारा ...

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक / शिवपुरी / निगरानी / भू.रा. / 2017 / 1871

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 2–8–17 | आवेदक के अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर के प्रकरण कमांक 254 / अपील / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22.2.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, निगरानी के साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।<br>2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 3 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है।<br>(एस0 एस0 अली)<br>सदस्य | |